2025: CGHC: 53994

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2969/2023

1 – रामाउतिन कुर्रे, पति स्वर्गीय श्री बी.आर. कुर्रे, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम कंचनगांव, पोस्ट फास्टरपुर, जिला मुंगेली (छ.ग.)

----याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2 – संचालक कृषि, कृषि विकास भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

3 – उप संचालक कृषि, कृषि विकास भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

4 – उप संचालक कृषि, बिलासपुर (छ.ग.)

5 – जांच अधिकारी/अतिरिक्त संचालक कृषि, कृषि विकास भवन, सेक्टर–19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

----उत्तरदातागण

(वाद–शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता हेतु: श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता
राज्य हेतु: श्री राहुल तामस्कर, शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश
बोर्ड पर आदेश

04/11/2025

1. वर्तमान रिट याचिका उत्तरदाता क्रमांक 4 द्वारा जारी आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक पी/1) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध 57,44,709/– रुपये की वसूली निकाली गई है। उक्त राशि में से, याचिकाकर्ता के स्वर्गीय पति श्री बी.आर. कुर्रे को देय सेवानिवृत्ति लाभों की 28,30,134/– रुपये की राशि को वसूली में समायोजित कर लिया गया है, जबकि शेष 29,14,575/– रुपये की राशि को भू–अभिलेखों के

आधार पर याचिकाकर्ता से वसूल किया जाना प्रस्तावित किया गया है। याचिकाकर्ता ने विभागीय जांच कार्यवाही में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 05.10.2020 के साथ–साथ अपीलीय आदेश दिनांक 16.12.2021 (अनुलग्नक पी/2) को भी चुनौती दी है और निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना की है:

> 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उचित रिट जारी कर आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक पी/1) और दिनांक 05.10.2020 एवं 16.12.2021 (अनुलग्नक पी/ए) को निरस्त/अपास्त करने की कृपा करें।
>
> 10.2 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरदाता प्राधिकारियों को सितंबर 2016 से जनवरी 2017 तक का अदत्त वेतन, 18.02.2016 से 31.08.2016 की अवधि के लिए छठे वेतन आयोग का एरियर, परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा, अवकाश नकदीकरण, उपदान (ग्रेच्युटी) और सामान्य भविष्य निधि की राशि वापस करने/जारी करने तथा याचिकाकर्ता के पक्ष में पारिवारिक पेंशन भी, पात्रता की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 18% वार्षिक ब्याज के साथ जारी करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।
>
> 10.3 प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में जो भी अन्य आदेश उचित और न्यायसंगत प्रतीत हों, याचिकाकर्ता को वाद व्यय दिलाने सहित, पारित करने की कृपा करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति स्वर्गीय श्री बी.आर. कुर्रे को प्रारंभ में 23.06.1977 को कृषि विभाग के अंतर्गत ग्राम स्तर कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। अपनी लंबी और सराहनीय सेवा के दौरान, उन्हें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्ष 2012 के दौरान उनकी पदस्थापना पेंड्रा में थी। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पेंड्रा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, याचिकाकर्ता के पति को उप संचालक कृषि, बिलासपुर द्वारा आदेश दिनांक 07.02.2012 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2011–2012 के दौरान सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। तत्पश्चात, उप संचालक कृषि, बिलासपुर ने 25.05.2012 को याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध आरोप विरचित किए और उनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव रखा। अपना उचित बचाव करने और उन पर लगाए गए आरोपों का व्यापक एवं न्यायसंगत उत्तर

प्रस्तुत करने के लिए, याचिकाकर्ता के पति ने 05.06.2012 को वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विभागीय कार्यवाही में भरोसा किए गए संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। हालांकि, उक्त प्राधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, उप संचालक कृषि, बिलासपुर को एक अन्य अभ्यावेदन दिनांक 08.06.2012 प्रेषित किया गया, जिसमें पुनः विभागीय जांच से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी गईं, ताकि वे आरोपों का प्रभावी ढंग से उत्तर दे सकें और सुनवाई का उचित अवसर प्राप्त कर सकें। इसी बीच, उप संचालक कृषि, बिलासपुर ने थाना पेंड्रा में दिनांक 26.06.2012 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जो अपराध क्रमांक 61/2012 है, जिसमें याचिकाकर्ता के पति पर 10,38,400/– रुपये के आपराधिक न्यासभंग का आरोप लगाया गया। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी शुरू की गई। विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के पति ने वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष लगातार कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें जांच के अनुचित संचालन के संबंध में शिकायतें की गईं और उचित बचाव तैयार करने के लिए संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथापि, विभाग वांछित दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा। उन्होंने 30.10.2012 को संचालक, कृषि, बिलासपुर के समक्ष पुनः एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने और विभागीय कार्यवाही में सुनवाई का उचित अवसर देने के अपने अनुरोध को दोहराया। तत्पश्चात, उप संचालक, कृषि, बिलासपुर ने 06.02.2013 को पूर्व की विभागीय जांच को निरस्त कर दिया और उन्हीं आरोपों के आधार पर संचालनालय स्तर पर एक नवीन विभागीय जांच शुरू की गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता के पति ने 28.10.2014 को उप संचालक, कृषि, रायपुर को एक और अभ्यावेदन देकर जांच से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगीं ताकि वे उचित उत्तर प्रस्तुत कर सकें और जांच कार्यवाही में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। बार–बार अनुरोध के बावजूद, प्राधिकारी याचिकाकर्ता के पति को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे। इसके बजाय, संचालक, कृषि, रायपुर ने पत्र दिनांक 11.12.2015 के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि जांच अधिकारी ने पहले ही एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच संपन्न कर ली है और जांच प्रतिवेदन संचालनालय को सौंप दिया है। उक्त पत्र में याचिकाकर्ता के पति को पंद्रह (15) दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। उपरोक्त पत्र के अनुपालन में, याचिकाकर्ता के पति ने 23.12.2015 को संचालक, कृषि, रायपुर के समक्ष अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया,

जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और जांच कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में एकपक्षीय रूप से संचालित की गई थी। चूंकि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था और याचिकाकर्ता के पति ने उस पर अपना उत्तर भी दाखिल कर दिया था, इसलिए संचालक, कृषि, रायपुर ने आदेश दिनांक 10.02.2016 के माध्यम से उनके निलंबन आदेश को प्रतिसंहृत कर दिया और उन्हें बहाल कर उप संचालक, कृषि, बलरामपुर–रामानुजगंज के अंतर्गत पदस्थ किया गया। याचिकाकर्ता के पति को 25.01.2017 को संचालनालय द्वारा पुनः निलंबित कर दिया गया और बाद में आदेश दिनांक 29.04.2017 के माध्यम से उन्हें बहाल कर उप संचालक, कृषि, बिलासपुर के अधीन पदस्थ किया गया। उन्होंने 29.04.2017 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त की और सेवा से सेवानिवृत्त हुए, क्योंकि 30.04.2017 को अवकाश होने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति पिछले कार्य दिवस से प्रभावी हुई। कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, मारवाही, पेंड्रा के न्यायालय ने अपराध क्रमांक 61/2012 में दिनांक 29.02.2020 को निर्णय पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता के पति को आपराधिक न्यासभंग के अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया। बार–बार अभ्यावेदन दिए जाने और सुनवाई के अवसर से स्पष्ट रूप से वंचित किए जाने के बावजूद, कृषि संचालनालय, रायपुर ने 05.10.2020 को एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के पति को विभागीय जांच में दोषी ठहराया गया और उनसे अभिकथित हानि की वसूली करने का निर्देश दिया गया। उस समय तक, याचिकाकर्ता के पति सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे, और इसलिए उक्त आदेश में उनके सेवानिवृत्ति के लाभों से राशि की वसूली का निर्देश दिया गया। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता के पति ने प्राकृतिक न्याय के हनन और दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने के आधार पर विभागीय आदेश को चुनौती देते हुए 24.10.2020 को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। इस बीच, याचिकाकर्ता के पति ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, मारवाही, पेंड्रा द्वारा अपराध क्रमांक 61/2012 में पारित दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष एक दाण्डिक अपील भी दायर की। विद्वान सत्र न्यायालय ने विस्तृत विचार के उपरांत, निर्णय दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से याचिकाकर्ता के पति को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। उक्त दोषमुक्ति के आदेश की अनदेखी करते हुए और याचिकाकर्ता के पति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों की समीक्षा किए बिना, अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से, केवल उप संचालक कृषि के प्रतिवेदन पर भरोसा करते हुए और अभ्यावेदन को असंतोषजनक मानते हुए, विभागीय अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में और दोषमुक्ति के निर्णय पर उचित विचार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किए बिना पारित किया गया था। तत्पश्चात, उप संचालक कृषि ने पत्र दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से याचिकाकर्ता के पति को निर्देशित किया कि वे विभागीय कार्यवाही के तहत वसूली योग्य पाई गई राशि जमा करें या अपने सेवानिवृत्ति के लाभों और/या भू–राजस्व कार्यवाहियों के माध्यम से राशि की वसूली हेतु सहमति देते हुए एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करें। दुर्भाग्यवश, याचिकाकर्ता के पति स्वर्गीय श्री बी.आर. कुर्रे का 24.12.2021 को निधन हो गया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रारंभ में उप संचालक, बिलासपुर द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच को बाद में निरस्त कर दिया गया था और पूर्व के आरोप–पत्र को यथावत अपनाते हुए संचालनालय स्तर पर एक नई जांच की गई थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान, याचिकाकर्ता के पति को न तो वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए और न ही उन्हें अपना बचाव करने का उचित अवसर दिया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन के कारण विभागीय जांच दूषित हो गई। विभागीय आदेश दिनांक 05.10.2020 और 16.12.2021 से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1078/2023 प्रस्तुत की। आदेश दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से, इस न्यायालय ने उत्तरदाता क्रमांक 4 को याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए उक्त रिट याचिका को निस्तारित कर दिया। उक्त आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता क्रमांक 4 से संपर्क किया और अपने लंबित अभ्यावेदन पर उचित विचार करने का अनुरोध किया। हालांकि, आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक पी/1) के माध्यम से, उत्तरदाता क्रमांक 4 ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध 57,44,709/– रुपये की वसूली की कार्यवाही की है, जिसमें से याचिकाकर्ता के स्वर्गीय पति को देय सेवानिवृत्ति के लाभों के 28,30,134/– रुपये समायोजित कर लिए गए हैं, और शेष 29,14,575/– रुपये की राशि भू–अभिलेखों के आधार पर याचिकाकर्ता से वसूल किया जाना प्रस्तावित किया गया है। उत्तरदाताओं की इस मनमानी, अन्यायपूर्ण और अवैध कार्यवाही से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत करने के लिए विवश है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि आक्षेपित आदेश दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक पी/1) और 05.10.2020 (अनुलग्नक पी/2) अवैध, मनमाने और विधि की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं हैं और इसलिए इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य हैं। आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में, याचिकाकर्ता या उनके स्वर्गीय पति को अपना बचाव करने का कोई भी उचित या न्यायसंगत अवसर प्रदान किए बिना पारित किए गए हैं, और फलस्वरूप ये प्रारंभ से ही शून्य हैं। दिनांक 25.05.2012 के आरोप–पत्र के जारी होने के

पश्चात, याचिकाकर्ता के पति ने विभागीय अधिकारियों को कई अभ्यावेदन देकर आरोप–पत्र में भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि वे विभागीय जांच में प्रभावी उत्तर प्रस्तुत कर सकें। बार–बार लिखित अनुरोधों के बावजूद, अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया या अनुपालन नहीं किया गया, और आवश्यक दस्तावेजों की कोई प्रमाणित प्रति कभी उपलब्ध नहीं कराई गई। आवश्यक दस्तावेजों से इस जानबूझकर किए गए इनकार ने याचिकाकर्ता के पति को अपना बचाव करने के उचित अवसर से वंचित कर दिया, जिससे पूरी विभागीय कार्यवाही दूषित और अवैध हो गई। कई अवसरों पर, याचिकाकर्ता के पति ने उत्तरदाताओं को अभ्यावेदन भेजकर विशेष रूप से उन दस्तावेजों की पहचान की जो आरोप–पत्र के प्रति उत्तर तैयार करने के लिए आवश्यक थे। मांगे गए दस्तावेजों की सूची का स्पष्ट विवरण देने और उचित बचाव के लिए उनकी आवश्यकता पर जोर देने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने मौन रहना चुना और बार–बार किए गए अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तरदाताओं की ओर से ऐसी निष्क्रियता 'ऑडी अल्टरम पार्टम' के मौलिक सिद्धांत, यानी 'दूसरे पक्ष को सुने जाने के अधिकार' का स्पष्ट उल्लंघन है। दिनांक 30.10.2012 को, याचिकाकर्ता के पति ने पुनः सक्षम प्राधिकारी को पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाया कि जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत संचालित की जा रही है, क्योंकि उन्हें आरोप–पत्र का उत्तर देने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे। इसके बावजूद, अधिकारी उत्तर देने में विफल रहे, जिससे जांच कार्यवाही के मनमाने और पक्षपातपूर्ण आचरण की पुष्टि होती है। दस्तावेजों का इनकार सुनवाई के उचित अवसर के इनकार के समान है, जो किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता की जड़ पर प्रहार करता है। एक बार फिर, 28.10.2014 को, याचिकाकर्ता के पति ने आरोप–पत्र का विस्तृत और सार्थक उत्तर दाखिल करने के लिए उत्तरदाताओं से उन्हीं दस्तावेजों की मांग करते हुए एक नया अभ्यावेदन दिया। हालांकि, उक्त अनुरोध पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई वर्षों तक अभ्यावेदनों की ऐसी निरंतर अवहेलना अधिकारियों की ओर से दुर्भावनापूर्ण आशय को दर्शाती है और यह प्रदर्शित करती है कि जांच निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों का पालन किए बिना केवल एक औपचारिकता के रूप में संचालित की गई थी। याचिकाकर्ता के पति द्वारा मांगे गए प्रासंगिक अभिलेख और दस्तावेज उपलब्ध कराने के बजाय, उत्तरदाता प्राधिकारी ने पत्र दिनांक 11.12.2015 के माध्यम से उन्हें सूचित किया कि जांच अधिकारी ने पहले ही जांच पूरी कर ली है और जांच प्रतिवेदन संचालनालय को सौंप दिया है। उक्त संचार ने याचिकाकर्ता के पति को 15 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें एक ऐसी रिपोर्ट का उत्तर देने के लिए मजबूर किया गया जिसके तथ्यों से वे अनभिज्ञ थे, और जिसके सहायक दस्तावेज उन्हें कभी नहीं दिए गए थे और न ही उन्हें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जांच कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया गया था। यह कार्रवाई अपने आप में मनमानी और प्रशासनिक विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। संपूर्ण विभागीय जांच याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से संचालित की गई थी, जिससे उन्हें अपना बचाव करने, स्वयं के साक्ष्य प्रस्तुत करने या विभाग द्वारा प्रस्तुत गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया गया। जांच का ऐसा एकतरफा संचालन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विपरीत है, और एकतरफा साक्ष्यों पर आधारित ऐसी जांच के निष्कर्ष न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते। मूल आरोप–पत्र उप संचालक, कृषि, बिलासपुर द्वारा तैयार और जारी किया गया था, और बाद में, कृषि संचालनालय, रायपुर ने बिना कोई नया आरोप–पत्र जारी किए या याचिकाकर्ता के पति को नए सिरे से अभ्यावेदन देने का अवसर दिए बिना, पिछली जांच के समान ही आरोप–पत्र और गवाहों की सूची को केवल अपनाकर संचालनालय स्तर पर एक नई विभागीय जांच शुरू की। नई कार्यवाही में पिछले आरोप–पत्र को केवल अपनाया जाना स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, और पूरी प्रक्रिया को विधि की दृष्टि में 'नॉन एस्ट' (शून्य/अस्तित्वहीन) बना देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि संचालनालय स्तर पर आयोजित विभागीय जांच में, न तो कोई नया आरोप–पत्र तैयार किया गया, न ही दस्तावेजों या गवाहों की कोई सूची संसूचित की गई, और न ही याचिकाकर्ता के पति को सुनवाई का कोई उचित अवसर प्रदान किया गया। संचालनालय ने केवल उप संचालक, बिलासपुर द्वारा तैयार की गई पिछली सामग्री पर भरोसा किया और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना यांत्रिक रूप से कार्यवाही की। यह प्रक्रियात्मक अवैधता जांच को प्रारंभ से ही दूषित करती है। अपीलीय प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहे कि याचिकाकर्ता के पति को अपराध क्रमांक 61/2012 से उत्पन्न दाण्डिक कार्यवाहियों में विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका था, और सेवानिवृत्ति से पूर्व उन्हें सेवा में बहाल भी किया जा चुका था। अपीलीय प्राधिकारी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की और त्रुटिपूर्ण रूप से इस धारणा पर आगे बढ़े कि दोषसिद्धि अभी भी प्रभावी है, जिससे मस्तिष्क का पूर्णतः उपयोग न करना प्रदर्शित होता है।

उप संचालक, कृषि, बिलासपुर ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने से पहले ही वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी थी, जो स्वयं दर्शाता है कि उत्तरदाताओं ने अपील के परिणाम को पहले से ही निर्धारित कर लिया था, जिससे अपीलीय प्रक्रिया मात्र एक खोखली

औपचारिकता बनकर रह गई। ऐसा आचरण निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया की जड़ पर प्रहार करता है और आदेशों को शून्य और अमान्य बना देता है। पूरी कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के पति को विधि द्वारा अनिवार्य सुनवाई का निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। विभागीय जांच और उसके बाद की अपीलीय कार्यवाहियां इस तरह से संचालित की गईं कि उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के हर पहलू का उल्लंघन किया, जिसमें नोटिस का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार और सकारण आदेश का अधिकार शामिल है।

अपीलीय प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा अपनी अपील में उठाए गए चुनौती के प्रमुख आधारों पर विचार करने या उन्हें संबोधित करने में विफल रहे। प्राधिकारी ने सारभूत तर्कों पर ध्यान दिए बिना या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की जांच किए बिना, यांत्रिक और सतही तरीके से अपील को खारिज कर दिया, इस प्रकार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 27 के तहत अपने सांविधिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे। क्योंकि, उक्त नियमों का नियम 27(2) अपीलीय प्राधिकारी पर यह अनिवार्य कर्तव्य डालता है कि वह विचार करे कि क्या नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था; क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे; और क्या अधिरोपित शास्ति (दंड) आनुपातिक थी या अत्यधिक। हालांकि, आक्षेपित अपीलीय आदेश में ऐसे किसी विचार का प्रतिबिंब नहीं मिलता है। यह न तो प्रक्रियात्मक अनुपालन की जांच करता है और न ही साक्ष्य या शास्ति की आनुपातिकता का मूल्यांकन करता है। इसलिए, आक्षेपित आदेश अस्पष्ट, मनमाना और सांविधिक अधिदेश के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरदाताओं के पास याचिकाकर्ता के वैध देयकों को रोकने या समायोजित करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है, जिसमें सितंबर 2016 से जनवरी 2017 तक का अदत्त वेतन, 18.02.2016 से 31.08.2016 की अवधि के लिए छठे वेतन आयोग का एरियर, परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा, अवकाश नकदीकरण, उपदान (ग्रेच्युटी), सामान्य भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन शामिल हैं। सेवानिवृत्ति लाभों का ऐसा रोक और समायोजन विधि के विपरीत है, विशेष रूप से तब जब विभागीय कार्यवाही स्वयं दूषित हो चुकी है और याचिकाकर्ता के पति ने आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले ही अधिवर्षिता प्राप्त कर ली थी। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सेवानिवृत्ति लाभ एक कर्मचारी का निहित अधिकार है जो अधिवर्षिता पर अर्जित होता है, और इसे विधि के अनुसार और विधिक कार्यवाही के माध्यम से सिद्ध कदाचार की स्थापना के बिना नहीं रोका जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, चूंकि विभागीय जांच उचित प्रक्रिया के घोर उल्लंघन में की गई थी, इसलिए अभिकथित वसूली राशि के विरुद्ध

सेवानिवृत्ति देयकों को समायोजित करने की उत्तरदाताओं की कार्रवाई पूरी तरह से बिना क्षेत्राधिकार के और अधिकारतीत है।

दस्तावेजों की आपूर्ति न करना, जांच का एकपक्षीय संचालन, नया आरोप–पत्र जारी न करना, अपील का यांत्रिक तरीके से निस्तारण और सेवानिवृत्ति के लाभों से अवैध वसूली जैसी उपरोक्त सभी अनियमितताओं का संचयी प्रभाव यह संदेह से परे स्थापित करता है कि आक्षेपित आदेश मनमाने, दोषपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करने वाले हैं। अतः, आक्षेपित आदेश दिनांक 05.10.2020 और 28.02.2023 याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ निरस्त किए जाने योग्य हैं।

5. विद्वान शासकीय अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हैं और यह निवेदन करेंगे कि वर्तमान रिट याचिका, जिस रूप में तैयार और प्रस्तुत की गई है, वह गुण–दोष, सार और पोषणीयता से रहित है, और इसलिए इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता किसी भी प्रवर्तनीय विधिक अधिकार के अस्तित्व को स्थापित करने या उत्तरदाताओं की ओर से किसी भी सांविधिक कर्तव्य के उल्लंघन को प्रदर्शित करने में विफल रही है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का आधार बन सके। यह निवेदन किया गया है कि याचिका अनिवार्य रूप से उन मुद्दों को पुनः उठाने का प्रयास करती है जिनका न्यायनिर्णयन और निस्तारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (जिसे आगे "सीसीए नियम, 1966" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अनुसार कड़ाई से संचालित एक उचित विभागीय जांच और उसके बाद की अपीलीय कार्यवाहियों के माध्यम से पहले ही किया जा चुका है। रिट याचिका वसूली कार्यवाहियों को चुनौती देने की आड़ में निष्कर्ष तक पहुँच चुके अनुशासनात्मक परिणामों को फिर से खोलने का प्रयास करती है, जो विधि की दृष्टि में अनुमेय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के पति, स्वर्गीय श्री बी.आर. कुर्रे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पेंड्रा, जिला बिलासपुर (वर्तमान जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही) के रूप में कार्यरत थे। उनकी सेवा के दौरान, उन पर कदाचार और सरकारी धन के गबन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। परिणामस्वरूप, सीसीए नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत एक नियमित विभागीय जांच संस्थानित की गई थी। अपर संचालक, कृषि को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, और संयुक्त संचालक, कृषि, बिलासपुर संभाग को विभाग की ओर से प्रकरण के संचालन और प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि जांच अधिकारी ने एक पूर्ण जांच संचालित की, जिसमें अपचारी कर्मचारी को भाग लेने, अपना

बचाव प्रस्तुत करने और अपना स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी को एक विस्तृत जांच प्रतिवेदन सौंपा, जिसमें याचिकाकर्ता के पति पर लगाए गए सभी आरोप अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सिद्ध पाए गए। जांच अधिकारी के निष्कर्ष सकारण थे, दस्तावेजों द्वारा समर्थित थे और जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुरूप थे।

यह आगे निवेदन किया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच प्रतिवेदन और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर उचित विचार करने के उपरांत, एक सकारण आदेश दिनांक 05.10.2020 (अनुलग्नक पी/2) पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता के पति को सरकारी धन के गबन का दोषी ठहराया गया और दुरुपयोग की गई राशि की वसूली का आदेश दिया गया। उक्त आदेश सीसीए नियम, 1966 के नियम 10 और नियम 12 के अनुसार कड़ाई से, अपचारी अधिकारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात पारित किया गया था। व्यथित होने पर, याचिकाकर्ता के पति ने अपने सांविधिक उपचार का लाभ उठाया और सीसीए नियम, 1966 के नियम 27 के प्रावधानुसार अपीलीय प्राधिकारी/राज्य सरकार के समक्ष विभागीय अपील प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकारी ने जांच प्रतिवेदन और दंड के आदेश सहित प्रकरण के अभिलेख की समीक्षा करने के बाद, अपनाई गई प्रक्रिया या दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई। परिणामस्वरूप, आदेश दिनांक 16.12.2021 (अनुलग्नक पी/2) के माध्यम से अपील खारिज कर दी गई और अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई। दोनों आदेश सुसंगत, सकारण और मस्तिष्क के उचित प्रयोग के बाद पारित सुस्थापित आदेश हैं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह आगे निवेदन किया गया है कि विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के पति ने उप संचालक, कृषि, बिलासपुर के अधीन कार्यरत रहते हुए 30.04.2017 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त की। इसके बाद जांच कार्यवाहियां सीसीए नियम, 1966 के नियम 10(2) के अनुसार जारी रखी गईं, जो विशेष रूप से एक सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को जारी रखने का अधिकार प्रदान करती हैं। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता के पति का 24.12.2021 को निधन हो गया, और उसके बाद से याचिकाकर्ता, उनके विधिक प्रतिनिधि होने के नाते, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से अंतरिम पेंशन प्राप्त कर रही हैं।

यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान याचिका से पूर्व, याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से अपने स्वर्गीय पति के सेवानिवृत्ति के लाभों के वितरण की मांग करते हुए रिट याचिका (सेवा)

क्रमांक 1078/2023 दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से निस्तारित किया था, जिसमें उत्तरदाता क्रमांक 4 को याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर विधि के अनुसार एक निर्धारित समय सीमा के भीतर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में, उप संचालक, कृषि, बिलासपुर (उत्तरदाता क्रमांक 4) ने अभ्यावेदन पर विधिवत विचार किंया और एक सकारण एव सुस्पष्ट आदेश दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक पी/1) पारित किया, जिसके द्वारा यह आदेश दिया गया कि अपचारी कर्मचारी (अब मृत) से कुल 57,44,709/– रुपये की वसूली प्रभावी की जाए। इस राशि में से, याचिकाकर्ता के पति को देय सेवानिवृत्ति के लाभों के 28,30,134/– रुपये समायोजित किए गए, और शेष 29,14,575/– रुपये के लिए भू–राजस्व वसूली प्रक्रिया के अनुसार राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (RRC) की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में और विधि के अनुसार पारित किया गया था।

6. यह आगे निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत स्वीकार्य अग्रिम/अंतरिम पेंशन का नियमित रूप से भुगतान किया गया है। वर्तमान रिट याचिका के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अनुशासनिक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की वैधता को चुनौती देने के लिए कोई विशिष्ट विधिक आधार नहीं उठाया है। याचिका केवल जांच और अपीलीय चरणों के दौरान दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को फिर से खोलने की मांग करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपलब्ध न्यायिक पुनर्विलोकन के सीमित दायरे में अनुमेय नहीं है। यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि रिट न्यायालय विभागीय कार्यवाही में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है या अनुशासनिक प्राधिकारियों के निष्कर्षों के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह निवेदन किया गया है कि विभागीय जांच के मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा यह जांचने तक सीमित है कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है, नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, और क्या निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद किसी साक्ष्य पर आधारित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'डिप्टी जनरल मैनेजर (अपीलीय प्राधिकारी) बनाम अजय कुमार श्रीवास्तव' **[(2021) 2 एससीसी 612]** में और हाल ही में 'एसबीआई बनाम ए.जी.डी. रेड्डी' **[2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1064]** में यह दोहराया है कि अदालतें विभागीय निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं जब तक कि निर्णय विकृत न

हो या सांविधिक प्रक्रिया का उल्लंघन न हो। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता या उल्लंघन प्रदर्शित नहीं किया गया है।

यह आगे निवेदन किया गया है कि विचाराधीन जांच सीसीए नियम, 1966 के नियम 10 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कड़ाई से संचालित की गई थी। जांच अधिकारी और प्रस्तुतीकरण अधिकारी ने उचित प्रक्रिया का पालन किया, गवाहों की जांच की, और इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया कि सरकारी धन के गबन के आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी ने अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए एक सकारण दंड आदेश जारी किया। अपीलीय प्राधिकारी ने उचित संवीक्षा के उपरांत निष्कर्षों में कोई त्रुटि या विकृति नहीं पाई और आदेश की पुष्टि की। अतः, याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का तर्क तथ्यात्मक रूप से गलत और विधिक रूप से अस्थिर है।

यह निवेदन किया गया है कि दस्तावेजों की आपूर्ति न करने, एकपक्षीय कार्यवाही और मस्तिष्क का प्रयोग न करने के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। अभिलेख स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता के पति ने कार्यवाही में भाग लिया था, उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, और उन्हें अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। दोनों प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश सकारण आदेश हैं जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और सांविधिक आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन को दर्शाते हैं। उन्होंने आगे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'भारत संघ एवं अन्य बनाम जी. गनायुथम (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से' **[एआईआर 1997 एससी 3387]** में निर्धारित विधि का अवलम्ब लिया गया है जिसमें यह माना गया है कि प्रशासनिक या अनुशासनात्मक निर्णयों की वैधता की जांच करते समय 'वेडनेसबरी परीक्षण' लागू किया जाना चाहिए। इस न्यायालय का हस्तक्षेप यह आकलन करने तक सीमित है कि क्या निर्णय अवैध था, प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित था, या इतना तर्कहीन था कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता था।

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी के मत के स्थान पर अपना मत प्रतिस्थापित नहीं करता है। वर्तमान मामला इनमें से किसी भी परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के 'अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड बनाम मुकुल कुमार चौधरी' **[(2009) 15 एससीसी 620]** में दिए गए निर्णय का अवलम्ब लिया गया है, जिसमें यह माना गया था कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने या विभागीय जांच में दर्ज निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने के लिए

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की ओर निर्देशित होता है, न कि स्वयं निर्णय की ओर। चूंकि कोई प्रक्रियात्मक अवैधता या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन सिद्ध नहीं होता है, इसलिए अनुशासनिक और अपीलीय आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध जांच कार्यवाही विधिपूर्वक संचालित की गई थी, निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित थे, और अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी दोनों ने ही सकारण और भली–भांति विचारित आदेश पारित किए हैं। आदेशित वसूली विधि के अनुसार है, कदाचार की गंभीरता के अनुरूप है, और सेवा शर्तों को शासित करने वाले नियमों के अनुकूल है। पूर्वगामी के आलोक में, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि रिट याचिका पूरी तरह से भ्रामक और सारहीन है। याचिकाकर्ता अवैधता, मनमानेपन या प्रक्रियात्मक त्रुटि का ऐसा कोई भी मामला बनाने में विफल रही है जिससे आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तदनुसार, यह प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय गुण–दोष रहित, विधि की गलत व्याख्या पर आधारित और पोषणीय न होने के कारण रिट याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की कृपा करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के उपरांत और अभिलेख पर रखे गए अभिवचनों एवं दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, यह न्यायालय पाता है कि विवाद मुख्य रूप से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 16.12.2021 (अनुलग्नक पी/2) की वैधता, औचित्य और विधिमान्यता के इर्द–गिर्द घूमता है, जिसके द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश दिनांक 05.10.2020 के विरुद्ध याचिकाकर्ता के पति द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता क्रमांक 4 द्वारा जारी परिणामी आदेश दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक पी/1) को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा उनके विरुद्ध 57,44,709/– रुपये की वसूली का आदेश दिया गया है, जो आंशिक रूप से उनके स्वर्गीय पति के सेवानिवृत्ति देयकों के समायोजन द्वारा और आंशिक रूप से उनके विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू करके किया गया है।

9. यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता के पति, स्वर्गीय श्री बी.आर. कुर्रे, प्रारंभ में ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त हुए थे और चार दशकों से अधिक की सेवा के बाद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अपनी सेवा के दौरान, उन्हें वित्तीय वर्ष 2011–2012 से

संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ा। उक्त कार्यवाही का समापन एकपक्षीय जांच और दंड के अंतिम आदेश दिनांक 05.10.2020 में हुआ, जिसमें कथित गबन की गई राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता के पति ने 24.10.2020 को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें सुनवाई के अवसर से वंचित करने, दस्तावेजों की आपूर्ति न करने और इस तथ्य सहित कई आधार उठाए गए कि उन्हें उन्हीं आरोपों पर आधारित दाण्डिक प्रकरण में विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से पहले ही दोषमुक्त किया जा चुका था।

10. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अपीलीय प्राधिकारी ने, आदेश दिनांक 16.12.2021 के माध्यम से उक्त अपील को खारिज करते हुए, अपील के ज्ञापन में उठाए गए किसी भी विशिष्ट आधार पर न तो चर्चा की और न ही उनका निराकरण किया। सार रूप में, यह आदेश अभिलेख के स्वतंत्र मूल्यांकन के बिना, सक्षम दाण्डिक न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के निर्णय पर विचार किए बिना, और अपील स्वीकार किए जाने योग्य क्यों नहीं थी, इसके संबंध में कोई कारण दर्ज किए बिना, केवल अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष को दोहराता है। इसलिए, उक्त आदेश प्रथम दृष्टया मस्तिष्क का प्रयोग न करने के दोष से ग्रसित है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह विधि सुस्थापित है कि एक अपीलीय आदेश सकारण और सुस्पष्ट होना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 27 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, सांविधिक रूप से यह जांच करने के लिए बाध्य है कि क्या निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है; क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं; और क्या अधिरोपित शास्ति (दंड) कदाचार की गंभीरता के अनुरूप है। इनमें से प्रत्येक पहलू पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया जाना चाहिए और अपीलीय आदेश में उनकी चर्चा की जानी चाहिए। ऐसे विचार के अभाव में, आदेश विधि की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी को उठाए गए मुद्दों पर मस्तिष्क के सचेत प्रयोग को दर्शाते हुए एक सकारण आदेश पारित करना चाहिए। कारण बताने की आवश्यकता कोई कोरी औपचारिकता नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक अभिन्न अंग है। एक सकारण आदेश प्रशासनिक कार्रवाई में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और चुनौती दिए जाने पर न्यायिक पुनर्विलोकन की सुविधा प्रदान करता है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान' **[(2010) 9 एससीसी 496]** में यह धारित किया है कि "कारणों का दर्ज किया जाना

प्रत्येक निष्कर्ष की धड़कन है," और इसके अभाव में निर्णय मनमाना और अक्षम हो जाता है। इसे निम्नानुसार धारित किया गया था:

> "47. उपरोक्त चर्चा का सार प्रस्तुत करते हुए, यह न्यायालय धारित करता है:
>
> (a) भारत में न्यायिक रुझान हमेशा कारणों को दर्ज करने का रहा है, यहाँ तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
>
> (b) एक अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए।
>
> (c) कारणों को दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य न्याय के उस व्यापक सिद्धांत की सेवा करना है कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि वह होता हुआ दिखना भी चाहिए।
>
> (d) कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध–न्यायिक या यहाँ तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध अंकुश के रूप में भी कार्य करता है।
>
> (e) कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णय लेने वाले द्वारा विवेक का प्रयोग प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों को त्यागकर किया गया है।
>
> (f) कारण वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया के उतने ही अपरिहार्य घटक बन गए हैं जितना कि न्यायिक, अर्ध–न्यायिक और यहाँ तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना।
>
> (g) कारण वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।
>
> (h) विधि के शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में वर्तमान न्यायिक रुझान प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित सकारण निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवनधारा है जो इस सिद्धांत को पुष्ट करती है कि 'तर्क न्याय की आत्मा है'।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) न्यायिक या यहाँ तक कि अर्ध–न्यायिक मत इन दिनों उतने ही भिन्न हो सकते हैं जितने कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और प्राधिकारी। ये सभी निर्णय एक साझा उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जो तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना है कि प्रासंगिक कारकों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किया गया है। न्याय वितरण प्रणाली में वादकारियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

(j) कारणों पर आग्रह न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए एक आवश्यकता है।

(k) यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्व–निर्णय के सिद्धांत के प्रति निष्ठावान है या वृद्धिशीलवाद के सिद्धांतों के प्रति।

(l) निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों का ढोंग या "रबर–स्टैम्प कारण" को वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के समकक्ष नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(m) इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि पारदर्शिता न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की अनिवार्य शर्त है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णय लेने वालों को त्रुटियों के प्रति कम प्रवृत्त बनाती है, बल्कि उन्हें व्यापक संवीक्षा के अधीन भी बनाती है। (देखें डेविड शापिरो, 'इन डिफेंस ऑफ ज्यूडिशियल कैंडोर' [(1987) 100 हार्वर्ड लॉ रिव्यू 731–37])।

(n) चूंकि कारण दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे 'स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र' का हिस्सा माना गया था। देखें रुइज़ टोरिजा बनाम स्पेन [(1994) 19 ईएचआरआर 553], ईएचआरआर, पृष्ठ 562 पैरा 29 और अन्या बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड [2001 ईडब्ल्यूसीए सिव 405 (सीए)], जिसमें न्यायालय ने मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 6

का उल्लेख किया है, जो यह अपेक्षा करता है कि "न्यायिक निर्णयों के लिए पर्याप्त और बोधगम्य कारण दिए जाने चाहिए"।

(o) सभी सामान्य विधि क्षेत्राधिकारों में निर्णय भविष्य के लिए पूर्व–निर्णय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, विधि के विकास के लिए, निर्णय के कारण देने की आवश्यकता अनिवार्य है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का हिस्सा है।"

13. वर्तमान प्रकरण में, यह न्यायालय पाता है कि अपीलीय प्राधिकारी अपने सांविधिक और अर्ध–न्यायिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है। अपीलीय आदेश से अपील में उठाए गए आधारों पर किसी भी विचार का पता नहीं चलता है, और न ही यह तथ्यों, साक्ष्यों या प्रक्रियात्मक पहलुओं पर मस्तिष्क के किसी स्वतंत्र प्रयोग को इंगित करता है। यह आदेश केवल सतही और यांत्रिक तरीके से अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि करता है। कारणों के अभाव वाला ऐसा आदेश यथावत नहीं रखा जा सकता, विशेष रूप से तब जब अपील जांच प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अनुचितता और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के गंभीर आरोपों पर आधारित थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह न्यायालय इस तथ्य को भी संज्ञान में लेता है कि याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध उन्हीं आरोपों के आधार पर शुरू की गई दाण्डिक कार्यवाहियों का समापन विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2021 के माध्यम से उनकी दोषमुक्ति में हुआ, जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। यद्यपि विभागीय कार्यवाहियों में प्रमाण का मानक दाण्डिक विचारणों से भिन्न होता है, फिर भी, जहाँ दोनों कार्यवाहियों का आधार समान है और कर्मचारी को दाण्डिक प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई थी कि वह विभागीय कार्यवाहियों में दोषसिद्धि के निष्कर्ष की पुष्टि करने से पूर्व ऐसी दोषमुक्ति के प्रभाव की जांच करे। इस महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख तक न करना मस्तिष्क का प्रयोग न करने के निष्कर्ष को पुष्ट करता है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उनके स्वर्गीय पति को उनके बचाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों तक पहुँच से वंचित कर दिया गया था और जांच एकपक्षीय रूप से संचालित की गई थी, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उचित संवीक्षा की भी आवश्यकता थी। हालांकि, आदेश दिनांक 16.12.2021 से ऐसा कोई विश्लेषण या चर्चा प्रत्यक्ष नहीं होती है। अतः आदेश इस आधार पर भी टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि यह अपचारी अधिकारी द्वारा अभिकथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर विचार करने में विफलता को दर्शाता है। यह भी समान रूप से सुस्थापित है कि जब

प्रथम अपीलीय मंच उसमें निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है और विधि द्वारा निर्धारित तरीके से अपील का निर्णय नहीं करता है, तो यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है और प्रकरण को नए सिरे से विचार हेतु प्रेषित कर सकता है। अनुशासनात्मक मामलों में इस न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा वास्तव में निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और सांविधिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने तक सीमित है। चूंकि वर्तमान मामला सीसीए नियम, 1966 के नियम 27(2) के अननुपालन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन को प्रकट करता है, इसलिए यह न्यायालय अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप करने का न्यायसंगत कारण पाता है।

15. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, और विशेष रूप से, जिस तरह से अपीलीय प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2021 पारित किया है, यह न्यायालय सुविचारित मत रखता है कि उक्त आदेश एक सुस्पष्ट या सकारण आदेश नहीं है। यह अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए विशिष्ट आधारों को संबोधित करते हुए कारण बताने में विफल रहता है और मस्तिष्क के उचित प्रयोग को प्रकट नहीं करता है। परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 विधि सम्मत नहीं है और एतदद्वारा इसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. तद्नुसार, यह मामला संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के स्वर्गीय पति की अपील पर विधि के अनुसार नए सिरे से विचार करने हेतु वापस भेजा जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा, जो अब मृत कर्मचारी की संपदा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अपीलीय प्राधिकारी अपील के ज्ञापन में उठाए गए प्रत्येक आधार का निराकरण करते हुए एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश पारित करेंगे और विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। यह पूरी कवायद इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने आरोपों के गुण–दोष या विभागीय जांच में दर्ज निष्कर्षों पर अभिमत व्यक्त नहीं किया है और उस संबंध में सभी प्रश्न अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए खुले छोड़े गए हैं।

18. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही /-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur